




# किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे

ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन

कार्यकारी सारांश



India  
Justice  
Report | 2025

## किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में प्रकाशित

किशोर न्याय व्यवस्था के इस अध्ययन में यह मूल्यांकन किया गया है कि 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015' के तहत राज्य 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से संसद में दिए गए जवाबों और एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों से पूछे गए RTI के उत्तरों पर आधारित है। इस अध्ययन में 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB), 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI), 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SPJU) और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) जैसे प्रमुख संस्थानों की क्षमता का विश्लेषण किया गया है। सभी संस्थानों में यह क्षमता चार प्रमुख मानकों-आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, बजट और विविधता के संदर्भ में आंकी गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) का यह अध्ययन बिखरे हुए आंकड़ों को एक स्थान पर संकलित करके नीति निर्माताओं, सक्रिय नागरिकों और हितधारकों को बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है, जिससे वे व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और उसके समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं।

### मुख्य शोधकर्ता और लेखक

- माया दारूवाला, मुख्य संपादक, IJR
- नयनिका सिंघल, वरिष्ठ शोधकर्ता, IJR
- निदा परवीन, शोधकर्ता, IJR
- सौम्या श्रीवास्तव, शोधकर्ता, IJR
- कृष्णा शर्मा, सलाहकार
- वलर सिंह, लीड, IJR

### शोध सहायक

- डॉ. अर्शी शौकत, डेटा एनालिस्ट, IJR
- दिपुल यादव, शोधकर्ता, IJR

### तकनीकी समीक्षा

अनंत कुमार अस्थान, अधिवक्ता एवं बाल न्याय तथा आपराधिक मामलों के वकील  
हिंदी अनुवाद: मनीष झा  
संपादन: भारत सिंह, संचार सलाहकार, IJR

रिपोर्ट डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिक्स (www.howindialives.com)

कवर डिज़ाइन: मुकेश साह

अधिक जानकारी के लिए IJR की वेबसाइट देखें:

<https://indiajusticereport.org>

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फ़र्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

© इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाबों से मिले आंकड़ों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

**संदर्भ सुझाव:** 'किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025)'



# किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे

ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन

कार्यकारी सारांश



# परिचय

अपने प्रारंभिक स्वरूप से लेकर इसके हाल के सुधारों तक किशोर न्याय प्रणाली एक मूल सिद्धांत पर आधारित रही है कि हर क़ानून, हर नीति, हर संस्था, हर प्रक्रिया द्वारा और वास्तविक जीवन में भी बच्चे के संरक्षण, पुनर्वास और गरिमा के अधिकार को पहचाना और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खासतौर पर जब वह 'विधि विवादित बच्चा' हो।

इसी स्थायी मानक के आधार पर 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (IJR) का अध्ययन 'किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन' यह जांचता है कि 'विधि विवादित बच्चों' के लिए जांच, निर्णय, निरीक्षण, पुनर्वास और पुनःएकीकरण के लिए ज़िम्मेदार संस्थागत तंत्र की कितनी क्षमता से काम कर रहा है और क्या 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' के तहत किए गए वादे वास्तव में पूरे किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और ज़िले तक, क़ानूनी ढांचा विस्तृत और स्पष्ट है। इसे बहु-स्तरीय और भौगोलिक रूप से विकेंद्रित बनाया गया है ताकि ज़िला स्तर पर सुलभ ढंग से बाल-केंद्रित सेवाएं दी जा सकें। इन सेवाओं की निगरानी व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था हो। 'किशोर न्याय अधिनियम' यह सुनिश्चित करता है कि 'विधि विवादित बच्चों' के लिए ज़िला स्तर पर एक मजबूत व्यवस्था हो, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निगरानी का ढांचा मौजूद हो, और आंकड़े जुटाने, साझा करने और उन्हें ऊपरी स्तरों तक भेजने की क़ानूनी व्यवस्था हो।

वर्ष 1986 में किशोर न्याय के लिए मूल क़ानून को बने चार दशक हो चुके हैं। 'किशोर न्याय अधिनियम' को दोबारा लागू होने के लगभग दस साल पूरे हो गए हैं और पिछले आधिकारिक ऑडिट को भी पांच साल गुजर गए हैं<sup>1</sup>, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की किशोर न्याय

IJR का यह अध्ययन 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक भारत की किशोर न्याय संरचना की क्षमता का आंकड़ों के आधार पर आकलन करता है। यह देखता है कि मौजूदा व्यवस्था 'विधि विवादित बच्चों' के लिए अपने दायित्वों को कितनी असरदार तरीके से निभा रही है। अध्ययन में चार प्रमुख संस्थानों- 'किशोर न्याय बोर्ड', 'बाल देखरेख संस्थानों', 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों में इंफ़्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, बजट और विविधता का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से सभी राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में एक वर्ष-भर तक भेजे गए RTI आवेदनों और सार्वजनिक आंकड़ों (सरकारी वेबसाइटें, संसदीय प्रश्नोत्तर) पर आधारित रहा।

## इस अध्ययन में दो मुख्य प्रश्न हैं:

- जो संस्थाएं 'विधि विवादित बच्चों' की सुरक्षा और देखरेख करती हैं, क्या वे वास्तव में बजट, इंफ़्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधनों के साथ अपने दायित्व निभाने में सक्षम हैं?
- जिन शीर्ष संस्थाओं- 'महिला एवं बाल विकास विभाग', 'राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी', पुलिस मुख्यालय और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' पर व्यवस्था की निगरानी की जवाबदेही है, क्या उनके पास अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हैं?

व्यवस्था आज भी अपने क़ानूनी प्रावधानों के ज़मीनी स्तर पर लागू होने और उन्हें मापने लायक परिणामों में बदलने में जूझ रही है। यह आज भी नियमित, सार्वजनिक और समयबद्ध आंकड़ों और दस्तावेज़ों के ज़रिए यह साबित नहीं कर सकती कि यह प्रभावी रूप से काम कर रही है और

मौजूद तथ्यों से गंभीर तस्वीर सामने आती है। हर चार में से एक किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के पास पूरा पैनल नहीं है। अक्सर सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकतर मामलों में इसे अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। इस कारण JJB की बैठकें हफ़्ते या पखवाड़े में कुछ ही दिन होती हैं और वह भी केवल कुछ घंटों के लिए। कम संख्या वाले 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों' (LCPO) पर अत्यधिक कार्यभार है। लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन सुधार की कोई रोशनी नज़र नहीं आती। बच्चों को तत्काल क़ानूनी सहायता देने के लिए 'विधिक सेवा क्लिनिक' का JJB से जुड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन ये क्लिनिक मौजूद ही नहीं हैं। बच्चों के केसों के लिए अलग विशेषज्ञ पैनल बनाने के निर्देशों के बावजूद अधिकांश 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों' (DLSA) ने विशेषज्ञ वकीलों का समूह नहीं बनाया है। मानकों के अनुसार वैधानिक निरीक्षणों से बहुत कम असलियत में हो रहे हैं।

'बच्चे के सर्वोत्तम हित'<sup>2</sup> में अपने सर्वोत्तम स्तर पर संचालित हो रही है।

संस्थान की कमी, ख़ाली पद और अथूरे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ज़िम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाई जा रही हैं। यह नई समस्या नहीं है। इसे विधायिका, ऑडिट रिपोर्टों और अदालतों में कई बार उठाया गया है। समयबद्ध आंकड़ों से पता चलता है कि नीति सुधारों और महत्वाकांक्षी निगरानी के बावजूद व्यवस्था में कमियां लगातार बनी हुई हैं।

व्यवस्था की आकांक्षा और क्रियान्वयन में अंतर है। असल में संस्थान कागज़ातों पर मौजूद आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि ढांचागत कमियां स्थायी बनी हुई हैं: महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, भौतिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं और संस्थागत निगरानी कई जगह केवल औपचारिकता मात्र रह गई है।

जिन नोडल संस्थाओं पर अपने क्षेत्रों में संचालन की निगरानी और जानकारी संकलित करने की ज़िम्मेदारी है, वे अक्सर RTI आवेदनों को ज़िलों को भेज देती हैं। यह दिखाता है कि उनके पास पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और निगरानी नियमित रूप से न होकर अस्थायी है। ज़िले या तो अधूरी जानकारी भेजते हैं, जवाब नहीं देते या RTI को अस्वीकार कर देते हैं।

यह मानना उचित होगा कि पूरी जानकारी देने वाली संस्थाएं प्रशासनिक रूप से बेहतर संगठित हैं, जबकि जिन्होंने कम या बिल्कुल उत्तर नहीं दिए वे संभवतः क्षमता की कमी से जूझ रही हैं। हर ज़िले के लिए यह

अधिकांश 'बाल देखरेख संस्थानोंट' (CCI) के पास न चिकित्सक है, न परामर्शदाता और न ही 'विधि विवादित बच्चों' के लिए बुनियादी शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण की सुविधा। बोर्ड की कितनी बैठकें हो रही हैं या गृहों में मौजूद बच्चों को फ़ैसले के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, इसके लिए औपचारिक मूल्यांकन की ज़रूरत नहीं है। यह लंबित केसों की बढ़ती संख्या से ही साफ़ हो जाता है। क़ानून में कहा गया है कि 'विधि विवादित बच्चों' के केसों का निपटारा जल्दी और बच्चे की गरिमा व आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले तरीके से होगा, लेकिन यह वादा भी अधूरा ही है। वयस्क विचाराधीन कैदियों की तरह बच्चों को भी एक व्यवस्था की मार झेलनी पड़ रही है। इस राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन में 292 ज़िलों की संस्थाओं और उनकी सेवाओं की जांच की गई। इसमें ज़िलों की ओर से मिली जानकारी के आधार पर संस्थानों की क्षमता और मानकों में बहुत अंतर सामने आया।

मानना सही नहीं हो सकता, लेकिन इस रूझान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

जब क़ानून या मानकों का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं नियमित रूप से जानकारी तैयार और संकलित नहीं करतीं और यह जानकारी निगरानी संस्थाओं तक नहीं पहुंचाती तो अनुपालन की जांच नहीं हो सकती। न ही बेहतर क़दमों का प्रसार हो सकता है और न ही जोखिम का प्रबंधन हो सकता है। ऐसे में ख़राब प्रदर्शन को सामान्य प्रक्रिया मान लिया जाता है।

दस्तावेज़ तैयार करने का यह अस्थिर स्वरूप बताता है कि क़ानून का पालन नहीं हो रहा है और न ही व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है। उपलब्ध दस्तावेज़ दुर्भाग्य से यही दिखाते हैं कि असल में बच्चों के लिए विशेष रूप से अलग बनाई गई प्रणाली भी हमारी मौजूदा मुख्य न्याय व्यवस्था से बहुत अलग नहीं है। सामान्य न्याय व्यवस्था के समक्ष उच्च मानक स्थापित करने के बजाय इसमें भी केसों के निपटारे में देरी, ख़ाली पद और अपारदर्शिता मौजूद है। इस तरह यह भी मूल रूप से व्यापक न्याय प्रणाली की समस्याओं और रूझानों को ही दोहराने लगती है।

संस्थागत असफलताओं और सूचना की कमी को मात्र प्रशासनिक चूक कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय व्यवस्था को उच्चतम स्तर की निगरानी संस्थाओं का तत्काल ध्यान, हस्तक्षेप और सुधार चाहिए।

1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल देखभाल संस्थानों का सामाजिक अंकेक्षण। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://ncpcr.gov.in/uploads/167145198563a05551c7b75\\_national-report-social-audit-of-ccis.pdf](https://ncpcr.gov.in/uploads/167145198563a05551c7b75_national-report-social-audit-of-ccis.pdf)

2 धारा 2(9), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: [https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JIAct\\_2015.pdf](https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JIAct_2015.pdf)

# निष्कर्ष

28+2

राज्य और केंद्र शासित  
प्रदेशों के आंकड़े

765

ज़िले

707

JJBs



642

SJPUs

197

विधिक-सह-  
पर्यवेक्षण अधिकारी

305

विधिक सेवा  
क्लिनिक

319

पर्यवेक्षण गृह

41

विशेष गृह

40

सुरक्षित स्थान



9,907

बच्चे संस्थानों में  
मौजूद

55,000

केस 362 JJB में  
लंबित



40,036

किशोर निरुद्ध  
किए गए

Source: Crime in India 2023



31,365

केस IPC और विशेष और  
स्थानीय क़ानूनों के तहत दर्ज



4 में से 3

किशोर 16-18 वर्ष के  
बीच के थे

## सूचना तक पहुंच

IJR ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच किशोर न्याय व्यवस्था की क्षमता से संबंधित 16 प्रश्न तैयार किए। ये प्रश्न 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 250 से अधिक RTI आवेदनों तक भेजे गए। ये अनुरोध चार प्रमुख विभागों को भेजे गए थे: 'महिला एवं बाल विकास विभाग' (WCD), 'राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी' (SCPS), पुलिस मुख्यालय और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (SLSA)। हमें प्राप्त 500 से अधिक उत्तरों में से 36 प्रतिशत नोडल प्राधिकरणों से आए; 29 प्रतिशत ज़िलों को भेजे गए; 24 प्रतिशत का कोई उत्तर नहीं आया; और 11 प्रतिशत को सीधे खारिज कर दिया गया। यह दिखाता है कि सूचना साझा करने की संस्कृति कितनी कमज़ोर है।



11%

आवेदनों को सीधे खारिज कर दिया गया। कुल 500 जवाब मिले। इसमें से 36% का जवाब नोडल स्तर से आया। 29% ज़िलों को भेजे गए और 24% का कोई जवाब नहीं आया।


## पुलिस

मानक- एक CWPO को को विशेष तौर पर पीड़ित या आरोपी दोनों तरह के बच्चों से संबंधित मामलों को देखने के लिए नामित किया जाता है और हर पुलिस स्टेशन में इसकी मौजूदगी अनिवार्य है।

17 राज्यों ने जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तराखंड में पुलिस स्टेशनों की संख्या से ज़्यादा CWPO थे।

## चित्र 1: पुलिस स्टेशनों में महिला CWPO की हिस्सेदारी

महिला CWPO की हिस्सेदारी (%), नवंबर 2023)



नोट: 1. छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने कुल CWPO के आंकड़े दिए लेकिन महिला CWPO के आंकड़े अलग से नहीं दिए।  
2. राज्यों के नाम महिला CWPO की हिस्सेदारी के घटते क्रम में दिए गए हैं।



## किशोर न्याय बोर्ड

**मानक-** हर ज़िले में कम-से-कम एक पूर्ण रूप से गठित किशोर न्याय बोर्ड (JJB) होना चाहिए।<sup>3</sup>

### चित्र 2: बिना किशोर न्याय बोर्ड वाले ज़िले (2023-2024 तक)

	किशोर न्याय बोर्ड (ज़िलों में)	बिना JJB वाले ज़िले	
आंध्र प्रदेश	13/26	अल्लूरी सीताराम राजू, अनकापल्ली, अन्नमय्या, बापटला, बीआर अंबेडकर कोनसीमा, एलुरु, काकीनाडा, नंदाल, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मान्यम, श्री सत्य साई और तिरुपति	
अरुणाचल प्रदेश	26/28	बिचोम और केई पन्योर <sup>4</sup>	
असम	32/35	बजाली, पश्चिम कार्बी आंगलॉग और तामुलपुर	
बिहार	37/38	अरवल	4 क्रमशः 2023 और 2024 में स्थापित ज़िले।
छत्तीसगढ़	28/33	गौरैला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सकटी, सारंगढ़-बिलाईगढ़	5 JJB को दो स्रोतों से अलग-अलग जानकारी प्राप्त हुई - महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मई-जून 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक 36 JJB सूचीबद्ध थे और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 34 JJB सूचीबद्ध थे, जिनमें से दो परभणी में थे और उपनगरीय मुंबई ज़िले में कोई JJB नहीं था।
दिल्ली	7/11	दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली	नोट: 1. राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।
हिमाचल प्रदेश	11/12	लाहौल और स्पीति	स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत (2024 से संबंधित)
मध्य प्रदेश	51/55	मौनगंज, मैहर, निवाड़ी और पांडुर्पा	
महाराष्ट्र <sup>5</sup>	34/36	उपनगरीय मुंबई	
सिक्किम	4/6	पाकयोंग और सोरेंग	
राजस्थान	34/41	बालोतरा, ब्वावर, डीग, डीडवाना कुचामन, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, फलौदी	
तेलंगाना	10/33	भद्राद्री कोठागुडेम, हनुमाकोंडा, जगित्याल, जंगांव, जयशंकर, जोगुलम्बा गडवाल, कामरेड्डी, कोमाराम भीम, महबूबाबाद, मेदक, मंचेरियल, मेडचल-मलकाजगीरी, मुलुगु, नगरकुनूल, नारायणपेट, निर्मल, पेड्डापल्ली, राजन्ना सिरसिला, सिद्धिपेट, सूर्यपेट, विकाराबाद, वानापार्थी, यदाद्री भुवनगिरी	

## चित्र 3: JJB की पूरे देश में मौजूदगी

ज़िलों में JJB का प्रतिशत <sup>6</sup>			
तेलंगाना	30.3	केरल	100.0
आंध्र प्रदेश <sup>7</sup>	50.0	महाराष्ट्र <sup>15</sup>	100.0
दिल्ली	63.6	मणिपुर	100.0
सिक्किम	66.7	मेघालय	100.0
राजस्थान <sup>8</sup>	82.9	मिज़ोरम	100.0
छत्तीसगढ़ <sup>9</sup>	84.8	नगालैंड	100.0
असम	91.4	तमिलनाडु <sup>16</sup>	100.0
हिमाचल प्रदेश	91.7	उत्तर प्रदेश <sup>17</sup>	100.0
मध्य प्रदेश <sup>10</sup>	92.7	उत्तराखंड	100.0
अरुणाचल प्रदेश	92.9	पंजाब	100.0
बिहार <sup>11</sup>	97.4	त्रिपुरा	100.0
गुजरात <sup>12</sup>	100.0	पश्चिम बंगाल	100.0
हरियाणा <sup>13</sup>	100.0	कर्नाटक <sup>18</sup>	109.7
गोवा	100.0	ओडिशा	113.3
झारखंड <sup>14</sup>	100.0	अखिल भारतीय	92.4
जम्मू और कश्मीर	100.0		

स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

3 धारा 4(1), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

## किशोर न्याय बोर्ड

**मानक-** हर JJB में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है) होने चाहिए।<sup>19</sup>

### चित्र 4: JJB में रिक्तियां

वैकेंसी नहीं 10% से 20% तक 10% तक 20% से अधिक

	JJB में रिक्तियां (%)		
	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	JJB सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता)	पूर्ण पीठ वाले JJB का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश <sup>20</sup>	0.0	26.9	53.8
अरुणाचल प्रदेश	0.0	3.8	92.3
असम	3.1	6.3	90.3
बिहार <sup>21</sup>	0.0	36.5	27
छत्तीसगढ़	0.0	NP	NP
दिल्ली	NP	50.0	NP
गोवा	0.0	25.0	50
गुजरात <sup>22</sup>	0.0	3.0	90.9
हरियाणा <sup>23</sup>	0.0	9.1	81.8
हिमाचल प्रदेश	0.0	27.3	54.5
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	100
झारखंड <sup>24</sup>	0.0	20.8	62.5
कर्नाटक	NP	4.4	NP
केरल	0.0	39.3	72.7
मध्य प्रदेश <sup>25</sup>	0.0	30.4	66.7
महाराष्ट्र	0.0	5.6	91.7
मणिपुर	NP	NP	NP
मेघालय	0.0	4.2	91.7
मिज़ोरम	0.0	9.1	90.9
नगालैंड	0.0	NP	NP
ओडिशा	0.0	0.0	100
पंजाब <sup>26</sup>	4.3	4.3	86.4
राजस्थान <sup>27</sup>	0.0	23.5	58.8
सिक्किम	0.0	0.0	100
तमिलनाडु	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	25.0	NP
त्रिपुरा	0.0	12.5	75
उत्तर प्रदेश <sup>28</sup>	NP	6.0	NP
उत्तराखंड	NP	NP	NP
पश्चिम बंगाल	4.3	8.7	95.5
अखिल भारतीय	6.8	13.0	-

707 में से 470 JJBs ने उत्तर दिया। इनमें से 24% (111/470) बिना पूर्ण पीठ (फुल बेंच) के कार्यरत थे।

ओडिशा, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर ही ऐसे राज्य थे जिनके सभी बोर्ड पूर्ण रूप से गठित थे।

बिहार के सभी बोर्डों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो थे, पर केवल 10 बोर्ड (27%) ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना दी।

20 'किशोर न्याय समिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय' के दिसंबर 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://aphc.gov.in/aphc\\_old/juvenile\\_docs/HELPEDESK\\_JJBs.pdf](https://aphc.gov.in/aphc_old/juvenile_docs/HELPEDESK_JJBs.pdf)

21 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय' के मई 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/>

22 'गुजरात विधिक सेवा प्राधिकरण' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: Available at: <https://gujarat.nalsa.gov.in/en/juvenile-justice-committee/>

23 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jimc/?trs=cl>

24 'झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण' के 2020 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/Table\\_JJB\\_jun2020.pdf](https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/Table_JJB_jun2020.pdf)

25 'किशोर न्याय समिति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mphc.gov.in/jjc/home>

26 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय' के मई 2025 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jimc/>

27 'बाल अधिकार निदेशालय' की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) से लिए गए आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual\\_Progress\\_Report/O\\_160425\\_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf](https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf)

28 'महिला और बाल विकास विभाग' के जुलाई 2021 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://mahilakalyan.up.nic.in/JJB\\_LIST\\_Final.pdf](https://mahilakalyan.up.nic.in/JJB_LIST_Final.pdf)

नोट: 1. राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।  
2. इस विश्लेषण में छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, मणिपुर, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 237 JJB शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।  
3. NP: उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

19 धारा 4(2), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

किशोर न्याय बोर्ड

चित्र 5: 50,000 से अधिक ‘विधि विवादित बच्चे’ न्याय के इंतज़ार में

JJR ने पहली बार 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच सभी राज्यों में JJB के कार्यभार को दर्ज किया; 14 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश- दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के 362 JJB ने उत्तर भेजा।

	केसों की संख्या			निपटारे मामलों का प्रतिशत (% नवंबर 2022 - अक्टूबर 2023)
	कुल कार्यभार (1 नवंबर, 2022-31 अक्टूबर, 2023)	निपटारे गए मामले (1 नवंबर, 2022-31 अक्टूबर, 2023)	लंबित मामले (31 अक्टूबर, 2023 तक)	
मध्य प्रदेश <sup>29</sup>	32,273	16,584	15,689	51.4
ओडिशा	11,366	1,981	9,385	17.4
पश्चिम बंगाल <sup>30</sup>	8,019	2,238	5,547	27.9
कर्नाटक	6,411	4,149	2,268	64.7
तेलंगाना	5,689	3,057	2,632	53.7
असम	3,438	1,403	2,036	40.8
जम्मू और कश्मीर	3,359	880	2,511	26.2
केरल <sup>31</sup>	3,270	1,238	2,032	37.9
दिल्ली	2,461	1,030	1,431	41.9
झारखंड	1,892	847	1,047	44.8
हरियाणा <sup>32</sup>	1,890	1,097	895	58.0
हिमाचल प्रदेश	1,280	550	730	43.0
उत्तराखंड <sup>33</sup>	980	722	420	73.7
अरुणाचल प्रदेश	489	152	336	31.1
मेघालय	461	125	310	27.1
मिज़ोरम	329	260	69	79.0
त्रिपुरा	260	98	162	37.7
गोवा	127	92	35	72.4
सिक्किम	68	46	20	67.7
नगालैंड	50	28	16	56.0
राजस्थान	NP	8,520	8,245	NA
कुल	1,00,904	45,097	55,816	44.7

नोट: 1. राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।  
2. निम्नलिखित राज्यों ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। 3. बिहार ने कार्यभार से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसलिए हम इसका आकलन नहीं कर सके। 'वर्ष 2022 के दौरान बिहार के JJB में लंबित मामलों और निपटारे को दर्शाने वाला समेकित चार्ट' शीर्षक वाला एक दस्तावेज़, राज्य के 37 JJB के समक्ष कुल मिलाकर 3.7 लाख से अधिक मामलों के कार्यभार और जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच की अवधि में 3.62 लाख मामलों के लंबित होने की ओर इशारा करता है। हालांकि, दस्तावेज़ का स्रोत की पुष्टि नहीं हो सकी। दस्तावेज़ इस लिंक पर उपलब्ध है: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/PDF/UPLOADED/250.pdf>। 4. राजस्थान (1 जनवरी 2024–31 दिसंबर 2024) के आंकड़े बाल अधिकार निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट (2024–25) से उपलब्ध थे, लेकिन इसमें लंबित मामलों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://jankalyanfile.rajjasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual\\_Progress\\_Report/O\\_160425\\_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf](https://jankalyanfile.rajjasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf)  
स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

29 मध्य प्रदेश के मामलों के कार्यभार के आंकड़े 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच के हैं, जो 'किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय' से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mphc.gov.in/jjc/ivth-quarter-2022>  
30 23 में से केवल 12 JJB ने जवाब दिया।  
31 14 में से केवल 12 JJB ने जवाब दिया।  
32 22 में से केवल 8 JJB ने जवाब दिया।  
33 13 में से केवल 9 JJB ने जवाब दिया।

किशोर न्याय बोर्ड

मानक: आदर्श रूप से, JJB को 'विधि विवादित बच्चों' के लिए बने प्रत्येक गृह का कम से कम हर महीने एक बार या वर्ष में 12 बार निरीक्षण करना चाहिए। <sup>34</sup>

चित्र 6: JJB द्वारा CCI में केवल 810 निरीक्षण किए गए

14 राज्यों और जम्मू और कश्मीर में अगर हर महीने एक निरीक्षण होता, तो कुल 1,992 निरीक्षण होने चाहिए थे, लेकिन केवल 810 हुए।

	बाल देखरेख संस्थानों की संख्या		JJB द्वारा निरीक्षण		दौरों का प्रतिशत (%)
	कुल <sup>35</sup>	JJB द्वारा निरीक्षण	मानक अनुसार आवश्यक- CCI x 12	किए गए निरीक्षण	
जम्मू और कश्मीर	2	2	24	26	108
ओडिशा	8	8	96	68	71
पश्चिम बंगाल	14	8	168	110	65
झारखंड	15	6	180	86	48
नगालैंड	14	11	168	79	47
उत्तराखंड	14	10	168	76	45
हिमाचल प्रदेश	2	2	24	10	42
राजस्थान	52	18	624	254	41
त्रिपुरा	4	4	48	19	40
सिक्किम	3	2	36	10	28
मिज़ोरम	15	11	180	45	25
केरल	11	3	132	18	14
हरियाणा	7	2	84	9	11
अरुणाचल प्रदेश	1	0	12	0	0
गोवा	4	0	48	0	0
कुल 15 राज्यों में	166	87	1,992	810	41

नोट: राज्यों के नाम दौरों के प्रतिशत के घटते क्रम में हैं।  
स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

34 धारा 8 (3)(j), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015.  
35 गृहों की संख्या के आंकड़े लोकसभा के 20 दिसंबर, 2024 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4264 से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264\\_iuNtpB.pdf?source=pqals](https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals) और निरीक्षणों की संख्या JJB से RTI के ज़रिए मिली जानकारी से ली गई है।

विधिक सेवा

**मानक:** ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ के अनुसार, हर JJB के साथ एक ‘विधिक सेवा क्लिनिक’ होना चाहिए।<sup>36</sup>

**मानक:** NALSA के नियमों के अनुसार प्रत्येक ‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ (SLSA) को ‘बाल कल्याण समिति’ और ‘किशोर न्याय बोर्ड’ के समक्ष बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों का अलग पैनल बनाना चाहिए।<sup>37</sup>

केवल आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और दिल्ली ने बताया कि उनके सभी JJB के लिए विशेष रूप से नामित वकील मौजूद हैं।

अधिकांश राज्य ज़िला स्तर पर पहले से सूचीबद्ध वकीलों पर निर्भर रहते हैं और एक समर्पित, प्रशिक्षित किशोर न्याया के विशेषज्ञों का पैनल नहीं बनाते। ऐसे वकील अक्सर तीन साल में बदल दिए जाते हैं।

आवासीय सुविधाएं

**मानक:** राज्य को हर ज़िले में या ज़िलों के समूह के लिए एक ‘पर्यवेक्षण गृह’ (OBH) स्थापित करना चाहिए; यह ‘विशेष गृह’ (SH) भी स्थापित कर सकता है; और कम-से-कम एक ‘सुरक्षित स्थान’ (PoS) होना अनिवार्य है।<sup>40</sup>

कुल 9,907 बच्चे आवासीय संस्थानों में थे। कई बड़े राज्यों में सभी आवश्यक प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं, और कई राज्यों ने अलग-अलग सुविधाओं को एक साथ मिला दिया था।

14 राज्यों में एक भी ‘सुरक्षित स्थान’ नहीं था।<sup>41</sup>

- **पर्यवेक्षण गृह** वे संस्थान हैं जहां जांच लंबित रहने तक बच्चों को अस्थायी रूप से रखा जाता है।
- **विशेष गृह** ऐसे बच्चों के दीर्घकालिक पुनर्वास और संरक्षण के लिए होते हैं जो किसी अपराध के दोषी पाए गए हों।
- **सुरक्षित स्थान** विशेष रूप से 16-18 वर्ष के उन बच्चों के लिए होते हैं जो किसी जघन्य अपराध के आरोपी या दोषी हों। यहां उन बच्चों को भी रखा जाता है जो गंभीर अपराध करने के समय नाबालिग थे, परंतु कार्यवाही के दौरान वयस्क हो गए।

चित्र 7: किशोर न्याय बोर्ड से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक

	50% से कम	50% से 80%	80% से 100%	100%
	JJB से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक का प्रतिशत (नवंबर 2023 तक)			
	JJB के साथ कार्यरत पैनलबद्ध वकील			
	NALSA से प्राप्त आंकड़े: JJB/OBH/ CWC से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक(मार्च 2025) <sup>38</sup>			
दिल्ली	100.0		7/7	19
मिज़ोरम	100.0		9/11	0
राजस्थान	100.0		0/34	34
सिक्किम	100.0		0/4	4
तेलंगाना	100.0		9/10	9
त्रिपुरा	100.0		6/8	8
मध्य प्रदेश	98.0		NP	50
छत्तीसगढ़	96.4		20/28	27
कर्नाटक	88.2		34/34	29
ओडिशा	88.2		0/34	31
महाराष्ट्र <sup>39</sup>	79.4		28/34	30
आंध्र प्रदेश	69.2		13/13	6
जम्मू और कश्मीर	55.0		11/20	3
गोवा	50.0		2/2	0
हरियाणा	50.0		8/22	9
तमिलनाडु	50.0		0/32	43
असम	37.5		31/32	20
पंजाब	30.4		6/23	7
मणिपुर	0.0		0/16	0
नगालैंड	0.0		0/16	1

नोट: 1. राज्यों के नाम संबद्धता के प्रतिशत के घटते क्रम में दिए गए हैं। 2. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

चित्र 8: विधि विवादित बच्चे और संस्थानीकरण (2024)

राज्य	ज़िले	गृहों की संख्या				बच्चों की संख्या			
		पर्यवेक्षण गृह	पर्यवेक्षण गृह-सह-विशेष गृह	'सुरक्षित स्थान'	विशेष गृह	पर्यवेक्षण गृहों में रह रहे बच्चे	पर्यवेक्षण गृह-सह-विशेष गृहों में रह रहे बच्चे	'सुरक्षित स्थानों' में रह रहे बच्चे	विशेष गृहों में रह रहे बच्चे
आंध्र प्रदेश	26	9	2	0	2	108	73	0	8
अरुणाचल प्रदेश	28	0	1	0	0	0	5	0	0
असम	35	5	0	1	0	131	0	5	0
बिहार	38	20	0	5	1	892	0	250	12
छत्तीसगढ़	33	14	0	5	7	301	0	85	8
दिल्ली	11	3	0	1	1	91	0	32	4
गोवा	2	2	0	0	2	4	0	0	0
गुजरात	33	6	0	0	0	300	0	0	0
हरियाणा	22	3	0	3	1	94	0	125	42
हिमाचल प्रदेश	12	0	2	0	0	0	40	0	0
जम्मू और कश्मीर	20	2	0	0	0	68	0	0	0
झारखंड	24	13	0	1	1	434	0	0	11
कर्नाटक	31	17	0	1	1	109	0	8	23
केरल	14	8	0	1	2	18	0	8	10
मध्य प्रदेश	55	18	0	0	3	570	0	0	90
महाराष्ट्र	36	53	0	0	0	1,910	0	0	0
मणिपुर	16	4	1	1	2	36	25	1	2
मेघालय	12	3	0	2	2	15	0	10	9
मिज़ोरम	11	12	0	1	2	179	0	12	52
नगालैंड	16	12	0	0	2	34	0	0	12
ओडिशा	30	0	7	1	0	0	312	50	0
पंजाब	23	4	0	0	2	142	0	0	8
राजस्थान	41	40	0	12	0	695	0	99	0
सिक्किम	6	3	0	0	0	39	0	0	0
तमिलनाडु	38	10	0	2	4	202	0	41	32
तेलंगाना	33	3	1	0	1	100	41	0	45
त्रिपुरा	8	3	0	0	1	9	0	0	1
उत्तर प्रदेश	75	28	0	1	2	1,379	0	28	5
उत्तराखंड	13	10	0	2	2	108	0	27	15
पश्चिम बंगाल	23	14	0	0	0	273	0	0	0
कुल	765	319	14	40	41	8,241	496	781	389

नोट: राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं। स्रोत: लोकसभा प्रश्न (2024).

40 धारा 47-49, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

41 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।



बाल देखरेख संस्थान: स्टाफ़

**मानक:** प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान (CCI) में एक प्रभारी अधिकारी या अधीक्षक; एक चिकित्सक (कॉल पर उपलब्ध) और प्रशिक्षित परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होने आवश्यक हैं।<sup>42</sup>

हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में कोई भी डॉक्टर नहीं था। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तराखंड में केवल एक-एक डॉक्टर था।

चित्र 9: विधि विवादित बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्थानों में उपलब्ध कर्मचारी

	गृहों की संख्या				स्टाफ़ की संख्या		
	OBH	विशेष गृह	सुरक्षित स्थान	कुल गृह	चिकित्सक	प्रभारी	परामर्शदाता
असम <sup>43</sup>	5	0	0	5	5	5	4
दिल्ली <sup>44</sup>	3	1	2	6	NP	1	3
हरियाणा <sup>45</sup>	3	1	3	7	3	3	2
हिमाचल प्रदेश <sup>46</sup>	2	NA	NA	2	0	2	2
केरल <sup>47</sup>	6	1	1	8	0	9	6
महाराष्ट्र <sup>48</sup>	13	2	2	17	8	8	6
मेघालय <sup>49</sup>	3	2	2	7	3	5	5
मिज़ोरम	12	2	1	15	0	15	15
नगालैंड	11	2	1	14	0	11	11
ओडिशा <sup>50</sup>	7	NA	1	8	3	3	6
सिक्किम	2	0	NP	2	2	2	4
तेलंगाना	4	2	5	11	1	3	0
त्रिपुरा	3	3	1	7	0	6	5
उत्तराखंड <sup>51</sup>	8	NP	NP	8	1	6	0
पश्चिम बंगाल <sup>52</sup>	5	3	3	11	1	1	2
15 राज्यों का कुल	87	19	22	128	28	82	71

43 असम में पांच पैरा-मेडिक कर्मचारी हैं, जिनमें से एक-एक पांचों 'पर्यवेक्षण गृहों' में तैनात हैं।  
44 केवल 'विशेष गृहों' की जानकारी दी।  
45 हरियाणा ने केवल 'पर्यवेक्षण गृह' के स्टाफ़ की जानकारी दी।  
46 हिमाचल प्रदेश ने कहा कि बालक और बालिकाओं के लिए दो 'पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह-सह-सुरक्षित' स्थान हैं।  
47 केवल 6 ज़िलों ने जानकारी उपलब्ध कराई - अलप्पुझा, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोझिकोड तिरुअनंतपुरम और त्रिशूर।  
48 सात ज़िलों- औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले (2), जलगांव (2), कोल्हापुर (3), नांदेड़ और पुणे (3) ने 'बाल देखरेख संस्थानों' की जानकारी दी।  
49 केवल 'पर्यवेक्षण गृहों' ने डॉक्टरों की मौजूदगी की जानकारी दी।  
50 ओडिशा में सात एकीकृत गृह (पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह) और एक 'सुरक्षित स्थान' है।  
51 केवल चार ज़िलों- अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर ने 'पर्यवेक्षण गृह' के आंकड़े उपलब्ध कराए। इनमें से केवल अल्मोड़ा में एक स्वास्थ्य अधिकारी था। शेष में कोई चिकित्सक नहीं था।  
52 केवल नादिया और हावड़ा ज़िलों ने गृहों में स्टाफ़ की संख्या की जानकारी दी।

नोट: राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।  
स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर

42 नियम 26, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016.

परिवीक्षा

**मानक:** प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक LCPO होना चाहिए। यह मिशन वात्सल्य के अंतर्गत एक समर्पित पद है, जो CNCP और CCL से संबंधित सभी कार्यक्रमों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया है।

13 राज्यों और दिल्ली ने जानकारी दी, जिनमें कुल 197 LCPO दर्ज किए गए।

केवल हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम के हर ज़िले में LCPO था। गोवा में एक भी LCPO नहीं था।

चित्र 10: विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी एवं उनका कार्यभार (2022-23)

	कुल ज़िले	LCPO	कुल कार्यभार	प्रति LCPO कार्यभार
नगालैंड	16	11	50	4.6
सिक्किम	6	6	68	11.3
मिज़ोरम	11	11	329	29.9
त्रिपुरा	8	6	260	43.3
मेघालय	12	10	461	46.1
हिमाचल प्रदेश	12	13	1,280	98.5
असम	35	29	3,439	118.6
तेलंगाना	33	26	5,689	218.8
ओडिशा	30	30	11,366	378.9
दिल्ली	11	3	2,461	820.3
कुल	174	145	25,403	175.2

नोट: राज्यों के नाम LCPO के बढ़ते कार्यभार के क्रम में दिए गए हैं।  
स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर



# अनुशंसाएं

किशोर न्याय व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में काम करती है। इन परस्पर संबंधों को रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सुदृढ़ करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि

मौजूदा बजट में, सीमित संसाधनों और कई प्राथमिकताओं के बीच हितधारक तुरंत क्या कदम उठा सकते हैं?

## पहला, व्यवस्था को पंगु बना रही महत्वपूर्ण कमियों को दूर करें।

नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा संस्थानों के महत्वपूर्ण पद- न्यायाधीश, अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता और कानूनी सहायता सलाहकार, पूर्ण रूप से भरे हों।



## दूसरा, दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाएं।

‘डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियां’ लागू करें जो ‘विधि विवादित बच्चों’ के पहली बार किशोर न्याय व्यवस्था के संपर्क में आने से लेकर पुनर्वास तक मदद करें। पुलिस, अदालतों और ‘बाल देखरेख संस्थानों’ को जोड़ कर केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये हमेशा बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। स्वचालित प्रबंधन और अनुपालन की निगरानी द्वारा बिना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए व्यवस्था को ज़्यादा जवाबदेह बनाएं।



## तीसरा, प्रशिक्षण को क्षमता-वर्धन के रूप में प्राथमिकता दें।

छिट-पुट कार्यशालाओं के स्थान पर, योग्यता-आधारित ऐसे व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम और केंद्रीकृत कार्यशाला स्थापित की जानी चाहिए, जिससे पुलिस, JJB, परिवीक्षा अधिकारी, वकील, ‘बाल देखरेख संस्थान’ का स्टाफ और ‘विधि विवादित बच्चों’ के लिए काम कर रहे संगठन साथ आएँ और इन पहलों के प्रभाव व परिणाम को मापा जा सके। उदाहरण के तौर पर, इस दौरान किशोरों की आयु निर्धारण प्रक्रिया, जमानत, बाल मनोविज्ञान, किशोर न्याय के सिद्धांतों, आघात-संदेवनशील देखरेख, पुनर्वास और गैर-संस्थागत विकल्पों को ध्यान में रखा जाए।



## चौथा, समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करें।

‘किशोर न्याय अधिनियम’ की धारा 55 और ‘किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016’ के नियम 42 के अनुसार समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करें। आधिकारिक मूल्यांकनों के अतिरिक्त, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक कार्य विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों की समितियों द्वारा नियमित और पारदर्शी ऑडिट्स की संस्थागत प्रक्रिया स्थापित करें, जिसमें नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। अनुपालन मानकों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने से समकक्ष संस्थानों और ज़िलों पर दबाव बनता है, जिससे अतिरिक्त खर्च के बिना प्रदर्शन में सुधार होता है।

## पांचवां, प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दें।

वैधानिक समय-सीमाओं में कार्य पूरा करने वाले ज़िलों, मानकों का अनुरक्षण करने वाले संस्थानों और अनुपालन सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों को प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित करें। ऐसा करने से बिना कुछ खर्च किए व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। इसके विपरीत, लगातार अनुपालन न करने पर जवाबदेही का निवारक प्रभाव बहाल होता है।<sup>53</sup>



संक्षेप में, व्यवस्था में तेज़ी से सुधार के लिए ऐसे बदलावों को लागू करें जिन्हें तुरंत ज़मीन पर उतारा जा सकता हो। इसके लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय करें: मौजूदा रिक्तियों को भरना; वर्तमान कर्मचारियों का प्रशिक्षण; मौजूदा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण; सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करना और सोशल ऑडिट के ज़रिए इसे बढ़ाना।

इस व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच फंसे बच्चों को ऐसे व्यावहारिक और प्रभावी समाधानों की ज़रूरत है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों और JJ एक्ट के मूल उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने वाले सक्षम पेशेवरों

के ज़रिए तुरंत लागू किया जा सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर ‘विधि विवादित बच्चे’ को क़ानून के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास का अवसर मिले जो कि न्याय की मांग भी है।

खाका मौजूद है। जानकारी उपलब्ध है। अब समझदारी और ज़िम्मेदारी से काम लेने का समय है।

53 नियम 93, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016.

## किशोर न्याय अध्ययन के बारे में

किशोर न्याय व्यवस्था के इस अध्ययन में यह मूल्यांकन किया गया है कि 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015' के तहत राज्य 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से संसद में दिए गए जवाबों और एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों से पूछे गए RTI के उत्तरों पर आधारित है। इस अध्ययन में 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB), 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI), 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SPJU) और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) जैसे प्रमुख संस्थानों की क्षमता का विश्लेषण किया गया है। सभी संस्थानों में यह क्षमता चार प्रमुख मानकों- आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, बजट और विविधता के संदर्भ में आंकी गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) का यह अध्ययन बिखरे हुए आंकड़ों को एक स्थान पर संकलित करके नीति निर्माताओं, सक्रिय नागरिकों और हितधारकों को बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है, जिससे वे व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और उसके समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए

<https://indiajusticereport.org> पर क्लिक करें।

ईमेल आईडी: [indiajusticereport@gmail.com](mailto:indiajusticereport@gmail.com) फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403

### पार्टनर्स

डिजाइन



### डोनर्स



TATA TRUSTS

Cyrus  
Guzder

J.T. Pathak  
Trust



Ravi  
Venkatesan

Tree of Life  
Foundation

